न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/26/2025	2025/177	19.08.2025	03.12.2025

1. मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री रूपनारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु करीब 34 साल निवासी ग्राम ओहरा मुल्ला तहसील महवा जिला दौसा राज०।

---अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू०अभिलेख) रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज०।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 15.10.2014 विरुद्ध तहसीलदार (भू०अ०) रेणी जिला अलवर जिसके द्वारा बेजा तौर से इंतकाल संख्या– 920 वाके ग्राम झाकडा पटवार हल्का कानेटी तहसील रैणी को स्वीकार किया गया है जिस इंतकालाधीन आराजीयात के आदेश दिनांक 15–10–2014 को पिन्टू पुत्र स्व० रूपनारायण शर्मा की हद तक निरस्त किया जाने।

उपस्थितः–

01. श्री राजेश कुमार शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02. श्री राजकीय अभिभाषक – वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 15.10.2014 इंतकाल संख्या 920 वाके ग्राम झाकडा पटवार हल्का कानेटी तहसील रैणी से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार हाल जमाबंदी संवत 2075–2075 के अनुसार वाके ग्राम झॉकडा, पटवार क्षेत्र कानेटी तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राज० नया खाता संख्या 28 व पुराना खाता संख्या 25 के अनुसार हाल आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 0.6600 हैक्टेयर बारानी उत्तम, 423 रकबा 0.1200 हैक्टेयर बारानी उत्तम, 439 रकबा 0.0200 गैर मुमकिन गढ़ढा, 475 रकबा 0.0400 गैर मुमकिन बाडा, 476 रकबा 0.4700 हैक्टेयर बारानी उत्तम, 482 रकबा 0.0600 गैर मुमकिन चाह, 486 रकबा 0.9200 जाव 1 कुल किता 07, कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड एवं मौके पर स्थित है तथा उक्त आराजीयात पर मिन अपीलान्ट एवं उसके अन्य सह काश्तकारों की कब्जा कास्त मजाहमत चली आ रही है। तथा मिम अपीलान्ट को उक्त आराजी अपने पिता मृतक रूपनारायण पुत्र हरसहाय से विरासत में प्राप्त हुई है। मिन अपीलान्ट के मृतक पिता रूपनारायण पुत्र हरसहाव के वारिसान एवं परिवार के सजरा के अनुसार हल्का पटवारी कानेटी ने दिनांक 10.09.2014 को विरासत इंतकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार रेणी को पत्रावली पेश कर दी। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमान तहसीलदार रैणी ने मृतक रूपनारायण के नाम इंतकालाधीन आराजीयात का विरासत इंतकाल दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक 15.10.2014 को जारी कर दी जिसके आधार पर उपरोक्त आराजीयात का विरासत इंतकाल दर्ज हो गया। मिन प्रार्थी अपीलान्ट को गाँव में पिन्टू के नाम से पुकारते है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात एवं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि में प्रार्थी अपीलान्ट का नाम मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व० श्री रूपनारायण शर्मा दर्ज है।

मृतक रूपनारायण पुत्र श्री हरसहाव की आराजीवात का विरासत इंतकाल खोले जाने हेतु हल्का पटवारी कानेटी के द्वारा विरासत इंतकाल संख्या– 920 दर्ज किये जाने के लिये ग्राम पंचायत में पेश किया जिस पर प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण तस्दीक नही हुआ और इस कारण से रेस्पोडेन्ट से हल्का पटवारी कानेटी ने विरासत इंतकाल खोलने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

स्वीकृति दिनांक 10.09.2014 को मॉगी गई थी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या-01 में दिनांक 15.10.2014 को मृतक रूपनारायण का विरासत इंतकाल दर्ज किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी तथा प्रार्थी अपीलान्ट के सजरा के अनुसार मिन प्रार्थी अपीलान्ट का गाँव में पुकारता हुआ नाम पिन्टू दर्ज करते हुये इंतकालाधीन आराजीयात में दर्ज हो गया जो राजस्व रिकोर्ड अमालात में दर्ज है। ताईद में प्रामणित जमाबंदीयर्थी व इंतकाल की नकल संलग्न है।

मिन प्रार्थी अपीलान्ट का नाम पिन्टू पुत्र रूपनारायण शर्मा किसी भी दस्तावेज में नही है और नाही पिन्टू पुत्र रूपनारायण शर्मा के नाम का कोई दीगर व्यक्ति गाँव में है। इसलिये रेस्पोडेन्ट के विरासत इंतकाल स्वीकृति आदेश दिनांक 15.10.2014 को पिन्टू पुत्र रूपनारायण की हद तक निरस्त फरमाये जाने के लिये यह अपील अपीलान्ट पेश है। मिन प्रार्थी अपीलान्ट अपनी आराजीयात पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं किसान कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी कानेटी के पास गया एवं जमाबंदी तथा राजस्व रिकोर्ड का निरीक्षण करने पर जानकारी में आया कि मिन प्रार्थी अपीलान्ट का नाम सहवन की गलती से इंतकालाचीन आराजीयात में बहिस्से अनुसार पिन्टू पुत्र रूपनारायण दर्ज हो गया है। जोकि गलत है। मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने इंतकालाधीन समस्त आराजीयात की नकल प्राप्ती हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 09.05.2023 को प्राप्त हुई है। जिसके उपरान्त मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से रायमशविरा किया एवं कानूनी सलाह ली जिस पर बिना देरी के यह अपील अपीलान्ट श्रीमान के समक्ष पेश है। इंतकाल दिनांक 15.10.2014 से प्रार्थी अपीलान्ट की जानकारी की दिनांक 08.05.2023 तक को माफ फरमाया जावें एवं इंतकालाधीन आराजीयात की नकल प्राप्ती दिनांक 09.05.2023 से अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि पेश है। ताईद में अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। मिन प्रार्थी अपीलान्ट का नाम इंतकालाधीन समस्त आराजीयात में पिन्टू पुत्र रूपनारायण दर्ज होने से हक हकूक बाधित एवं जायल हो रहे है और नापूर्ति होने वाली क्षति कारित हो रही है। सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है इसलिये अपील अपीलान्ट बिना देरी के श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश है। इंतकालाधीन आराजीयात वाके ग्राम झॉकडा तहसील रैणी जिला अलबर राज० में स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट तहसीलदार भू० अभिलेख द्वारा इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है कि जिसके विरुद्ध अपील श्रीमान न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 920 वाके ग्राम झाँकडा तहसील रेणी जिला अलवर के बाबत में रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 15.10.2014को पिन्टू पुत्र स्व० श्री रूपनारायण की हद तक निरस्त किया जाकर मिन प्रार्थी अपीलान्ट का नाम मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व० श्री रूपनारायण शर्मा इंतकाल संख्या 920 बाके ग्राम झॉकडा की समस्त इंतकालाधीन आराजीयात में दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाया जावे। अन्य दीगर दादरसी जो माननीय न्यायलय उचित समझे मिन अपीलान्ट के हक में अता फरमायी जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि नामांतरकरण दर्ज करते समय मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण शर्मा के स्थान पर बोलता हुआ नाम पिन्टू पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण शर्मा कर दिया गया जो कि गलत है। नाम गलत दर्ज होने से अपीलांट के हक-हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का सही नाम इंतकाल में दर्ज करवाने का श्रम करें। बहस पूर्ण।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 15.10.2014 को नामान्तकरण संख्या 920 वाके ग्राम झॉकडा तहसील रैणी स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम पिन्टू पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण शर्मा दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड 4364 3520 860, राशन कार्ड संख्या 200000536640, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका संख्या 240994 इत्यादि में अपीलान्ट का नाम मदन मोहन शर्मा अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2014 से स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 920 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित/दर्ज इंतकाल संख्या 920 निर्णय दिनांक 15.10.2014 वाके ग्राम झॉकडा तहसील रैणी को पिन्टु पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण के नाम में संशोधन की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्पूर्ण जांच एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित कर नामान्तकरण को संशोधित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)